

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 96/14

संस्थापन दिनांक:-14/02/14

फाईलिंग नं. 233504003152014

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र बोरदेही,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. योगेश पिता चमनलाल खरे, उम्र 25 वर्ष  
निवासी विकास नगर बैतूल,  
थाना बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. राहुल पिता अशोक मिश्रा, उम्र 27 वर्ष  
निवासी वीरसिंहपुर पाली मगढार कॉलोनी,  
थाना पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)
3. युवराज पिता साहबराव पारखे, उम्र 23 वर्ष  
निवासी जम्बाड़ी खुर्द, थाना आमला,  
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 20.03.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 337 भा०दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 21.01.2014 को दोपहर 02:00 बजे रतेड़ा रोड आमला नदी के उस पार आमला गुरु सेवक का मकान थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत बजाज प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी होकर विद्युत मीटर बदलने का कार्य लापरवाही पूर्वक करते हुए बाहर की ओर फेंका जिसमें विद्युत तार बाहर लगी हुई 1100 वॉट की मेन लाईन में टकरा गयी जिससे फरियादी के घर के अंदर लगे हुए टीवी, फ्रीज और अन्य उपकरणों में बिजली प्रवाहित होने लगी और इसी बीच फरियादी लक्ष्मीबाई द्वारा टीवी का प्लग बाहर निकालने का प्रयास करने पर उसे करंट लग जिससे उसे उपहति कारित हुई।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.01.2014 को कृषि संबंधी कार्य की चर्चा हेतु गुरुसेवक के निवास स्थान पर आयी थी। करीब दो बजे गुरुसेवक के मकान में विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी और बजाज कंपनी के कुछ कर्मचारी घर पर आये और कहने लगे कि मीटर बदलना है और केबल डालने लगे। केबल डालने के दौरान घर का विद्युत प्रवाह काटकर उसे पोल से

तार निकालकर लापरवाहीपूर्वक काम करते हुए बाहर की ओर फेंकने लगे तो विद्युत तार बाहर लगी हुई 11000 वॉल्ट की मेन सप्लाय से संपर्क में आ गयी जिससे तार में आग लग गयी और आग तेजी से घर के अंदर लगे हुए टीवी, फ्रीज और अन्य उपकरणों में प्रवाहित होने लगी जिसकी शिकायत गुरुसेवक द्वारा कर्मचारियों से की गयी। जब उसने टीवी का प्लग बाहर निकालने का प्रयास किया तो उसे बहुत तेजी से करंट लग गया जिससे उसका बाया हाथ जल गया और वह वहीं पर बहुत तेज झटके के साथ गिर गया। उसे शरीर में काफी चोटें आयी और उसका बाया अंग शून्य जैसा हो गया। फरियादी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क्र. 88/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने बजाज प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी होकर विद्युत मीटर बदलने का कार्य लापरवाही पूर्वक करते हुए बाहर की ओर फेंका जिसमें विद्युत तार बाहर लगी हुई 1100 वॉल्ट की मेन लाइन में टकरा गयी जिससे फरियादी के घर के अंदर लगे हुए टीवी, फ्रीज और अन्य उपकरणों में बिजली प्रवाहित होने लगी और इसी बीच फरियादी लक्ष्मीबाई द्वारा टीवी का प्लग बाहर निकालने का प्रयास करने पर उसे करंट लग जिससे उसे उपहति कारित हुई ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

### **विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण**

5 लक्ष्मीबाई (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दोपहर की गुरुसेवक के मकान की है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि गुरुसेवक के मकान में विद्युत विभाग के कुछ कर्मचारी और कुछ कर्मचारी कम्पनी के थे। गुरुसेवक ने कहा कि आज मीटर मत बदलो क्योंकि उसका मीटर अंदर है। इसके बाद अभियुक्तगण वहां से चले गये। कुछ देर बाद अभियुक्तगण घर का

केबल काटकर उसे बड़े वाले तार से बाहर की ओर फेंकने लगे। तब बाहर की ओर लगे हुए तार में करंट फंसने से सप्लाई से घर में करंट लगने से आग लग गयी जिससे टीवी फ्रिज जल गये और उसके हाथ पर गिरा जिससे उसका हाथ काम नहीं कर रहा है।

6 गुरुसेवक (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्तगण उसके मकान पर विद्युत मीटर बदलने के लिए आये थे। तब उसने कहा कि मीटर अंदर लगा है, कमरे की चाबी नहीं है बाद में बदल लेना। ऐसा कहकर वह घर के अंदर चला गया परंतु अभियुक्तगण बाहर ही खड़े रहे। उसके घर के अंदर विद्युत विभाग के कर्मचारीगण और ठेकेदार उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने उस पोल से तार को निकाला जो विद्युत की बड़ी लाईन पर गिर गया जिससे कि घर पर करंट फैल गया। उसके घर पर फरियादी लक्ष्मी उपस्थित थी जो कि खेतीबाड़ी के काम से आयी थी। उसने जब बाहर निकलकर देखा तब अभियुक्तगण पोल के पास हाथ में डंडा लेकर तार को हिला डुला रहे थे। उसने अभियुक्तगण से कहा कि क्या कर रहे हो घर पर करंट दौड़ रहा है। घर पर फरियादी लक्ष्मी ने फ्रिज को बचाने के लिए फ्रिज का तार निकाला तो वह बेहोश हो गयी।

7 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 01.02.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत लक्ष्मी का परीक्षण किये जाने पर आहत के बांये हाथ के अंगूठे एवं हथेली पर जला हुआ घाव पाया था। साक्षी ने आहत को आयी चोट बिजली के करंट से प्रतीत होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी लक्ष्मी (अ.सा.-1) एवं गुरुसेवक (अ.सा.-2) के कथनों से साक्षी को करंट लगने से चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

8 जी.पी. रम्हारिया (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 31.01.2014 को थाना आमला में एसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी लक्ष्मीबाई द्वारा प्रदर्श पी-1 का आवेदन पेश करने पर उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 88/14 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-2) लेख किया जाना एवं दिनांक 01.02.2014 को घटना स्थल पर जाकर नक्शा मौका (प्रदर्श पी-3) तथा दिनांक 09.02.2014 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

9 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में अभियोजन यह स्थापित नहीं कर पाया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ही विद्युत सुधारने का कार्य कर रहे थे। साथ ही स्वयं फरियादी अभियुक्तगण को घटना के समय

पहचानती नहीं थी। तब ऐसी स्थिति में जबकि फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट लगभग 10 दिनों बाद की गयी है जिससे अभियोजन कथा अत्यन्त संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा उतावलेपन या उपेक्षा से कार्य किया गया ? इस संबंध में फरियादी लक्ष्मी (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण मीटर बदलने और केबल डालने का काम कर रहे थे और तार को बाहर की ओर फेंका जिससे घर में करंट फैल गया। गुरुसेवक (अ. सा.-2) ने भी यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके घर के सामने लगे पोल से तार को निकाला जो कि विद्युत की बड़ी लाईन पर गिर गया जिससे कि घर पर करंट फैल गया। फरियादी लक्ष्मी ने घर में रखे फ्रिज को बचाने के लिए फ्रिज का तार निकाला तो उसे करंट लगने से वह बेहोश हो गयी थी। लक्ष्मीबाई (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण बिजली विभाग के कर्मचारी थी या फिर ठेकेदार के आदमी थे। अभियुक्तगण को उसने मना किया था कि तार मत डालो। उसके बाद अचानक से घर में टीवी और फ्रिज के बोर्ड से चिंगारी निकलने लगी और जब उसने फ्रिज के बोर्ड का प्लग निकाला तो वह बेहोश हो गयी थी। बिजली विभाग के किस कर्मचारी को उसने केबल डालने से मना किया था उसका वह नाम नहीं जानती है। रिपोर्ट लिखाते समय किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं बताया था क्योंकि उसे अभियुक्तगण का नाम उसे बाद में पता चला था। उसने बिजली ऑफिस से नाम पता किया था तब नाम पता चला था। उसने घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन की थी, दस दिन बाद नहीं की थी। दुर्घटना किस वजह से और किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकती। उसे यह शक था कि अभियुक्तगण की गलती से करंट फैला है इसलिए अभियुक्तगण का नाम लिखाया था। उसे यह बात समझती है कि जब करंट का प्रभाव फैल रहा हो तो उससे दूर रहना चाहिए। घटना के समय वह किसी भी अभियुक्त को नहीं जानती थी। उसे केवल इतना पता था कि बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी आये थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि चिंगारी दिख रही थी तब यदि वह बोर्ड को नहीं छूती, प्लग नहीं निकालती तो करंट नहीं लगता। स्वतः में कहा कि उसने सामने वाले कमरे में चिंगारी देखी थी फ्रिज के बोर्ड पर नहीं देखी थी।

11 गुरुसेवक (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। अभियुक्तगण से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अभियुक्तगण को विद्युत की बड़ी लाईन पर तार डालते उसने नहीं देखा था। घटना के समय वह अभियुक्तगण को नाम से नहीं जानता था। अभियुक्तगण उसके घर के अंदर नहीं गये थे। यदि फरियादी बिजली के तार

के पास नहीं जाती तो घटना नहीं होती।

12 प्रकरण में फरियादी के द्वारा लिखित रिपोर्ट दिनांक 31.01.2014 को लगभग घटना के दस दिनों बाद की गयी है। लिखित आवेदन में फरियादी की ओर से यह लेख कराया गया है कि गुरुसेवक के मकान में विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं बजाज कम्पनी के कर्मचारी आये थे और उन्होंने केबल डालने के दौरान पोल से तार निकालकर लापरवाहीपूर्वक काम करते हुए बाहर की ओर फेंका जिससे उसके घर में करंट फैल गया। ईलाज में व्यस्त होने के कारण वह रिपोर्ट नहीं कर पायी थी। उसे प्राप्त जानकारी के अनुसार बजाज कम्पनी के अकुशल कर्मचारियों ने लापरवाहीपूर्वक कार्य किया जिससे दुर्घटना घटित हुई।

13 अभिलेख पर फरियादी की ओर से ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि लिखित रिपोर्ट किये जाने के पूर्व उसके द्वारा स्वयं का ईलाज किसी चिकित्सक से कराया गया हो। साथ ही लिखित शिकायत में फरियादी के द्वारा अभियुक्तगण का नाम भी उल्लेखित नहीं किया गया है। फरियादी ने अपने कथनों में यह बताया है कि घटना के समय वह अभियुक्तगण को जानती भी नहीं थी। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा ही घटना स्थल पर विद्युत सुधारने का कार्य किया जा रहा था एवं उनके द्वारा वह कृत्य उपेक्षा एवं उतावलेपन से किया गया। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी की घटना दिनांक को घटना स्थल पर विद्युत कार्य सुधारने हेतु ड्यूटी लगायी गयी हो। साथ ही ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि बजाज कम्पनी का विद्युत विभाग के साथ कोई अनुबंध हो और उसे अनुबंध के पालन में बजाज कम्पनी के कर्मचारी अर्थात् अभियुक्तगण के द्वारा घटना दिनांक को घटना स्थल पर विद्युत संबंधी कोई कार्य किया गया हो एवं साथ ही वह कृत्य उपेक्षा एवं उतावलेपन से किया गया हो जिससे कि फरियादी के घर पर करंट का प्रवाह हो गया हो जिससे कि फरियादी को उपहति कारित हुई हो। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में विलंब से रिपोर्ट लेख कराने एवं निश्चायक रूप से यह स्थापित न कर पाने के कारण कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा ही घटना स्थल पर विद्युत सुधारने का काम उपेक्षा एवं उतावलेपन से किया गया हो, अभियोजन कथा को संदेहास्पद हो जाती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बजाज प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी होकर

विद्युत मीटर बदलने का कार्य लापरवाही पूर्वक करते हुए तार बाहर की ओर फेंका जिसमें विद्युत तार बाहर लगी हुई 1100 वॉट की मेन लाईन में टकरा गयी जिससे फरियादी के घर के अंदर लगे हुए टीवी, फ्रीज और अन्य उपकरणों में बिजली प्रवाहित होने लगी और इसी बीच फरियादी लक्ष्मीबाई द्वारा टीवी का प्लग बाहर निकालने का प्रयास करने पर उसे करंट लग जिससे उसे उपहति कारित हुई। फलतः अभियुक्तगण योगेश, राहुल एवं युवराव को भारतीय दंड संहिता की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**15** अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**16** अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)